

$+$

सहित ब्लाक कांग्रेस कमेटी के सदस्य, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि, सरपंचगण एवं कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में उपस्थिति रही।

बाल अधिकार का पाठ पढ़ाने वाले खुद जुटे हैं बाल अधिकार हनन में



निशक्त शौचालय निर्माण में जिले में हुई बंदरबांट, 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बना निशक्त शौचालय

बोरापा/नवप्रदेश। कोडगांव जिले में रखरखटोला के वार्ड में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। यहां 2 साल में निर्माण कार्य करने के बाद भी 225 शौचालय का निर्माण अधूरा है। इसका खुलासा आरटीआई से निकाले गए जानकारी से हुआ है। शिवा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से 2 करोड़ 7 लाख रुपये का दिव्यंग खर्चों के लिए निशक्त शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जिले में दिव्यंग बच्चों के लिए या तो शौचालय बना ही नहीं या फिर कुछ स्कूलों में

बीआरसी कार्यालयों में उपलब्ध नहीं रिकॉर्ड

सूचना का अधिकार के तहत जब जिले के पांचों बीआरसी कार्यालयों में निशक्त शौचालय के पूर्णतः प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स मांगे गए तो सभी पांचों विकासखंड के बीआरसी द्वारा लिखित जानकारी दी गई कि बीआरसी कार्यालय में ऐसे कोई प्रमाण पत्र व फोटोग्राफ्स अभी तक सीएससी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया। राशि जिले से सीधे सीएससी के खाते में जारी किया गया था। जानकारी मिलने पर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा।

शौचालय नहीं होने की दी लिखित जानकारी

जब विकासखंड के कुछ शालाओं में जहां निशक्त शौचालय बनना था। वहां स्कूलों में जाकर अवलोकन करने पर निशक्त शौचालय नदारद था। संस्था प्रभारी से बात करने पर संस्था में निशक्त शौचालय ना होने की जानकारी मिली। साथ ही शाला में निशक्त शौचालय ना होने का लिखित भी दीया गया। इसे सहजता से अंदज लगाया जा सकता है कि निशक्त शौचालय निर्माण में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ।

क्या कहते हैं कलेक्टर

मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। इसकी जांच करावाई जाएगी। दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
पुष्पेंद्र मीणा, कलेक्टर कोडगांव।

सवाल खड़े कर रहे हैं। शौचालय की स्थिति जर्जर बनी हुई है। निशक्त उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस मामले को लेकर खर्चों के सामने वह गंभीर सवाल भी खड़ा होता है कि अधिकार शौचालय विकासखंड के ग्राम पंचायत बड़ा गुडगांव स्कूल में अचानक खन-खनाने स्वच्छता और मर्यादा अभियान को लेकर किस तरह का सबक वे सीखेंगे? जबकि हमने ही जिसके ऊपर पैड़ गिर कर पूरी तरह स्कूलों में इस तरह के अभियान डेरा खींचते रहे हैं।

खरखाटोला नाला किनारे दिखा बाघ, ग्रामीणों में दहशत

वन विभाग ने कराई मुनादी, कहा - सतर्क रहें, जंगल जाने से बचें

डोंगर गढ़ / नवप्रदेश। राजनोटाया जिले के खोरागढ़ व बोराताल के मध्य खरखाटोला के चंदत रिसॉर्ट के नजदीक एक बाघ देखा गया है। ग्रामीणों की सूचना पर वन अफसर जांच में जुट गईं। वहीं गांवों में मुनादी कराई गई है कि सतर्क रहें और वनों में जाने से बचें। वहीं बाघ देखे जाने की सूचना पर आसपास के गांवों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मंगलवार-बुधवार की रात एक ट्रक ड्राइवर व नजर बाघ पर पड़ा। उसने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। इसके बाद उसी रात को वन सफाई के चौकीदार जगु मंडवी ने वन विभाग को सूचना किया। वन विभाग के आए चंद्रकाश शर्मा

डेम के पास भी देखा गया था बाघ

इसके पहले भी राउतका डेम के आसपास बाघ देखा गया था। ग्रामीणों ने बताया गया कि पूर्व में भी राउतका के जंगल व डेम के आसपास बाघ की चहलचढ़ती देखी गई है। वनसंरक्षित के संरक्षण व क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को जंगल जाने पर सावधानी बरतते हुए अकेले जंगल जाने से मना किया है और आसपास क्षेत्र के वनांचल ग्राम खोलाखट, खोरागढ़, चौधना, पीरसारा, लेडीजव, भरौटोला में मुनादी करा सावधानी बरतने की अपील की गई है।

व वन रखरखटोला के कक्ष क्रमांक 446, 447 में मौका स्थल पर पहुंच चिह्नों का संपल लगा गया है और अभी बताया मुश्किल है कि ये पद चिह्न बाघ के है या किसी और जानवर के हैं। तैब से रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो पायेगा। ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

घर घुसकर तीन युवकों के साथ एसआई ने बुजुर्ग दंपति से की मारपीट

कांकर/नवप्रदेश। शहर के मांझपारा वार्ड में वाहनों की लेनेडन को लेकर घर में घुसकर तीन युवकों के साथ एक एसआई द्वारा बुजुर्ग दंपति व उनके पुत्र के साथ मारपीट करने की चैन सुनें का मामला सामने आया है। इस मामले में पीडित परिवार की रिपोर्ट पर पुलिस ने एसआई संत 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एसआई को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित करते हुए जांच के अंदर दे दिए हैं। कोतवाली में शिकायत करते हुए मांझपारा निवासी सुंदर अस्मानी ने बताया है कि 23 नवंबर की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच अपने पत्नी व बेटे के साथ घर पर थे तीन युवक और एसआई चंदन बाबू आ गए और उनके बेटे मुकुंद खटवानी को



पुछते हुए दुकान आने उसके बाद दुकान का शटर जबरदस्ती खुलवाये जो कि दुकान किराये में दी गई थी। जबरदस्ती किरायेदर नरेश सोनी को बुलाकर शटर

सोने की वैन लुटने का भी आरोप, एसआई को एसपी ने किया निलंबित

जबरदस्ती करने लगा। मांग किया और मेरे पुत्र के चित्रण बोलने के बाद तीन लड़के और आये जिनका नाम मोन्दू खटवानी, अमन खटवानी और पीयूष खटवानी और कुछ अन्य लोग बचपे थे। मेरे साथ घर में घुसकर मारपीट कर मेरी पत्नी की बाया खींचकर मारने लगे और उसके लाथ धाव जोड़ने पर भी नहीं रुके जिससे लड़कें सोने की वैन छीनकर चले गये। जिसमें मेरे को भी चोट आई वहीं मेरी पत्नी व पुत्र को चोटें आई थी। पुलिस अधीक्षक शरणा स्थल ने बताया कि मामला संज्ञा में आया है जांच की गई है। जांच उपरांत एसआई यथोक्त के विना बुरी के बावें गए व उन्हें तत्काल पर से निलंबित कर दिया गया है। आने इस मामले में दीवियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

प्रतिबंधात्मक दवाइयों की बिक्री, दो मेडिकल संचालकों को नोटिस



कवठा/नवप्रदेश। पुलिस अधीक्षक ने मोहिल गंग ने जिले के सभी थाना व चौकी प्रभावों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अर्ध रात्र, गंगा नजदीकी दवाइयों की बिक्री, एवं प्रतिबंधात्मक दवाइयों की मेडिकल स्टोर में रखने या बेचने पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर सराउडन चेंकिंग करने निर्देशित किया गया है। इसी तालतय में कोतवाली पुलिस को मुखबरी ने सूचना दी कि बिर्लासपुर रोड दरियाग चंदन मेडिकल स्टोर में बाघा किशोरी डॉक्टर के प्रसिद्धिपान के प्रतिबंधात्मक दवाइयों की बिक्री

की जा रही है। जिस पर उर निरीक्षण गंगाजलि सिन्हा के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर तिरिंते पाटीदार के साथ मेडिकल दुकानों में जांच की। जिसमें श्री सिन्हा मेडिकल स्टोर के शास्त्र राजनू ठाकुरपारा के दवाई दुकान में दवाइयों खरीदने व बेचने का रिकॉर्ड संभारित नहीं किया गया था। वहीं चंदन मेडिकल स्टोर के राजू राम निगाद ठाकुरपारा के दुकान में निरीक्षण के दौरान वही स्थिति थी। जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर ने दोनों मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों में जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

5 साल की मासूम से हैवानियत, बेहोश हुई तो मरा समझकर भागा आरोपी, गिरफ्तार



बालोद/नवप्रदेश। जिले की बालोद थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 साल की एक बच्ची के साथ अनचाह का संीन मामला सामने आया है। आरोपी की हैवानियत से मासूम बच्ची बेहोश हो गई तो आरोपी उसे मरा समझ मकै से पत्तर हो गया। वहीं बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बालोद पुलिस ने दुकानों युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, मासूम बच्ची अपने दाव व पिता के साथ गांव के ही एक दारुम कार्यक्रम में गई थी। बच्ची पहले से घर में खाना खा चुकी थी इसलिए वह इस कार्यक्रम के दौरान सिर्फ रोटी लेने के बाद अपने परिवार से घर जाने की जद करके लगी। इस बीच मोहोले का ही आरोपी रामकुमार बाबू से घर की ओर जा रहा था। मासूम के परिवार ने उसे छोड़ने कहा लेकिन आरोपी ने इस

बच्ची को बाहक में बैध्या था। युवक से पूछताछ की गई तो कहने लगा कि मैं तो उसे कच का पान देने के पसे छोड़कर चला गया था। अब मुझे नहीं मासूम आरोप क्या हुआ। परिवार पेशान हो गए और लाश 2 घंटे तक बच्ची को डूँडे हो। रात करीब 10:30 बजे बच्ची जहाँ पर पड़ी हुई थी दोरा आने के बाद पेशान पर पहुँची तब मामले में आरोपी बच्ची का मुँह दबाया जिससे वह बेहोश हो गई। जिसे आरोपी मरा हुआ समझकर खेत में ही छोड़कर भाग गया। इतर जग करीब 1 घंटे बाद परिवार खाना खाकर घर लौटे और बच्ची पर भी नहीं दिखी तो अन्य घर वालों से पूछताछ की। घरवालों ने कहा कि वह तो आप लोगों के साथ खाना खाने गई थी। अब तक आई नहीं है। परिवार डूँडे निकले। गली में वह युवक मिला जिसके घर से छोड़ने के लिए परिवार ने

मासूम को मिला इंसाफ, कोर्ट ने दुष्कर्मी को दी आजीवन कारावास

रामानुजगंज/नवप्रदेश। शंकरगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम मन्दुर, मनोहरपुर में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गांव के ही कुंवर साय (48 साल) के द्वारा मासूम के साथ अनचाह किया था। शंकरगढ़ पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 376 (क)(ख) एवं धारा 4/6 लैंगिक अपराधों से बालक को संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीकृत कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में अगर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पास्को रामनुजगंज वंदना दीपक देवांग

ने फैसला सुनाते हुए अपराध की प्रकृति स्थल एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को देखते हुए आजीवन सख्त कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड का सजा सुनाया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक न्याय मसूम बच्ची अपने बच्चे के साथ पड़ोस में खेल रही थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं आई तो उसकी मां पड़ोसी के वहाँ खोजने गई तो वहीं घर महिला ने बताया कि

घटना की जानकारी महिला ने अपने पति को दी दूसरे दिन आसपास के लोगों को इकट कर घटना की जानकारी दी गई। गांव में बैठक करने के बाद शंकरगढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई जांच उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें सजा सुनाते हुए अगर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पास्को वंदना देवांग ने अभियुक्त को धारा 5 (2)(ड)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विकल्प में धारा

376(क)(ख) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन सख्त कारावास सिस्का अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास से ही सजा सुनाया। वहीं शारीरिक एवं मानसिक पुनर्वास हेतु 10 लाख रुपये प्रदान करने की अनुशंसा न्यायाधीश ने अनुसूची की विशेष कलेक्टर बलराम रामनुजगंज को 18 सप्ताह अंतर्गत तक निष्पक्ष शिक्षा किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रदान करार जाने के निर्देश दिए।

सतर्क रहें सुरक्षित रहें

मास्क पहने

हाथ धोते रहें

दूरी है जरूरी

कोरोना से सावधान रहें क्योंकि सावधानी ही बचाव है।

कोरोना की सबसे बड़ी दवाई है सकारात्मकता

सहज रहें, सतर्क रहें

नवप्रदेश

समाचार पत्र समूह द्वारा जनहित में जारी